राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(9)एम.ई./ग्रुप–1/2018 जयपुर, दिनांक 1 JAN 2019

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 05.04.2018 के द्वारा डॉ0 सपना श्रीवास्तव (मेरिट क्रमांक ε7/सामान्य महिला, जन्म तिथि 26.02.1982) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 श्रीवास्तव को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

डॉ0 सपना श्रीवास्तव द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(9)एम.ई./ग्रुप–1/2018 दिनांक 29.05.2018 के द्वारा डॉ0 श्रीवास्तव के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 01.06.2018 तक की अभिवृद्धि की गयी। डॉ0 श्रीवास्तव द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण न कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(9)एम.ई./ग्रुप–1/2018 दिनांक 04.06.2018 के द्वारा डॉ0 श्रीवास्तव के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 01.08.2018 तक की अभिवृद्धि की गयी। डॉ0 श्रीवास्तव द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण न कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(9)एम.ई./ग्रुप–1/2018 दिनांक 07.08.2018 के द्वारा डॉ0 श्रीवास्तव के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 01.09.2018 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि अभिवृद्धि की गई समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे। डॉ0 श्रीवास्तव द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण न कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी तिथि से 6 माह तक ही कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की जा सकती है।

डॉ0 सपना श्रीवास्तव के द्वारा निर्धारित अवधि में वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 सपना श्रीवास्तव नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने की इच्छुक नहीं है। अतः डॉ0 श्रीवास्तव के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 05.04.2018 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को विभाग के आदेश प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 05.04.2018 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. डॉ0 सपना श्रीवास्तव पत्नी डॉ0 शैलेष जैन, 399, महावीर नगर प्रथम, आदर्श ब्लॉक, टोंक रोड़, जयपुर (राज.)–302018 (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव